सं. 180] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925
No. 180] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/13/2003-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा जेट्टी संख्या 10 के लिए वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 को बदरभाड़ा दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण को, संलग्न आदेशानुसार, बन्द करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/13/2003-एनएमपीटी

न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) -------- आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

यह प्रकरण जेट्टी संख्या 10 के लिए वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 की बंदरभाड़ा दर निर्धारित करने के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2000 को पारित अपने आदेश द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में, एनएमपीटी ने

जेट्टी सं. 10 के लिए वर्ष 1996-97 से 1999-2000 की बंदरभाड़ा दर निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जेट्टी सं. 10 के लिए एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित बंदरभाड़ा दरें निम्नलिखित हैं :

वर्ष	प्रति टन दर (रुपयों में)
1996-97	87.84
1997-98	78.43
1998-99	94.74
1999-2000	85.97

3.1. इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2000 को पारित आदेश के विरुद्ध एमआरपीएल ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। इसने मुख्यतः एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों में निवेश पर प्रतिलाभ संबंधी मुद्दे को चुनौती दी है।

3.2. एनएमपीटी ने भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में, जलयान संबंधी आय वापिस जमा करने, एस्क्रो खाता ब्याज वापिस जमा करने और बंदर भाड़ा दर का परिकलन करते समय मूल्यह्रास से अधिक ऋण की वापसी पर विचार करने जैसे तीन विशिष्ट मुद्दों पर एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत समीक्षा याचिका को अस्वीकार करते हुए 21 मार्च, 2002 को इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए रिट याचिका दायर की है।

4.1. एनएमपीटी का प्रस्ताव एमआरपीएल को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका सं. 38445/2000 से प्रभावित हुए बिना एमआरपीएल ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं।

4.2. एनएमपीटी द्वारा दिए गए बंदरभाड़ा के परिकलन के बारे में एमआरपीएल ने विभिन्न टिप्पणियाँ की हैं। इसने उल्लेख किया है कि एनएमपीटी ने तेल जैटी परियोजना के लिए एक साझा लागत केन्द्र स्थापित करने के बारे में; प्रचालन व्यय में पहले से ही गिने हुए मूल्य ह्रास से अधिकता की सीमा तक ही ऋण वापसी पर विचार करने के बारे में इस प्राधिकरण के निदेश का पालन नहीं किया है। इसने उल्लेख किया है कि बंदरभाड़ा दर के परिकलन के समय विशिष्ट निधियों के नकदी शेष और एमआरपीएल ऋण पर ब्याज को अवश्य अलग रखा जाए और एनएमपीटी की परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ को न गिना जाए। इन टिप्पणियों के मद्देनजर, एमआरपीएल ने जेट्टी सं. 10 के लिए बंदरगाह शुल्क दर का संशोधित रूप तैयार किया है।

4.3. एमआरपीएल से प्राप्त टिप्पणियाँ एनएमपीटी को फीडबैक सूचना के रूप में भेजी गई थीं।

5. तत्पश्चात, केवल ऋण किस्त के भुगतान की अधिकता की सीमा तक ही मूल्यह्रास पर विचार रखने के लिए, एनएमपीटी ने इस प्राधिकरण के निर्णय (दिनांक 9 अगस्त, 2002 के आदेश द्वारा) के लागू होने की तारीख के बारे में स्पष्टीकरण माँगा है। इस बिन्दु के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया था कि इस निर्णय को दिनांक 19 जुलाई, 2000 के हमारे आदेश में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुवर्तन में ही देखा जाना चाहिए। इसलिए, पत्तन को इस प्राधिकरण के दिनांक 19 जुलाई, 2000 के आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ इस विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत पर विचार करने के पश्चात अपना संशोधित प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई थी।

6.1. इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 20 मार्च, 2003 को एनएमपीटी परिसर में हुई थी। इस संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी ने स्लाइड शो प्रस्तुत किया और एमआरपीएल ने लिखित निवेदन प्रस्तुत किया।

6.2. इस संयुक्त सुनवाई में, एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों ने स्वीकार किया है कि इस मामले में इस प्राधिकरण के पूर्ववर्ती आदेश, जिन्हें उनके द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, तब भी प्रचालन में थे क्योंकि किसी उच्चतर न्यायिक मंच ने इसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया था। उच्च न्यायालय के समक्ष तत्संबंधी प्रकरणों में अपने अधिकारों और दावों से प्रभावित हुए बिना, एनएमपीटी और एमआरपीएल दोनों संयुक्त रूप से अंतिम बंदरभाड़ा दरें पुनर्निधारित करने के लिए और दो माह के समय में सहमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गए। वे वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए अंतिम बंदरभाड़ा दरें शामिल करते हुए प्रस्ताव को अद्यतन करने के लिए भी सहमत हो गए।

6.3. संयुक्त सुनवाई में हुई सहमति के अनुसार, जेट्टी सं. 10 की अंतिम बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने के लिए एनएमपीटी से अपना संशोधित प्रस्ताव 31 मई, 2003 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एनएमपीटी के अनुरोध पर सहमत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की समय-सीमा बाद में 31 अगस्त, 2003 तक बढ़ा दी गई थी। परंतु, पत्तन ने अपना प्रस्तुत नहीं किया है। हमारे दिनांक 3 सितम्बर, 2003 के पत्र द्वारा एनएमपीटी को प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए स्मरण भी कराया गया था।

7. एनएमपीटी ने अब अपने दिनांक 12 सितम्बर, 2003 के पत्र में अनुरोध किया है कि संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय को और 30 नवम्बर, 2003 तक बढ़ा दिया जाए क्योंकि पत्तन वर्ष 2002-03 के अपने वार्षिक लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा आदि के शुरू होने के कारण लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एमआरपीएल के साथ आगे की चर्चा नहीं कर सका है। इसने कहा है कि अंतिम दरें तय कर ली गई हैं और एमआरपीएल को उसके सत्यापन के लिए भेज दी गई हैं।

8.1. यह प्रस्ताव 'प्रशुल्क' प्रकरण के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव को पत्तन द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने तक अनिश्चितकाल के लिए लंबित रखना अभीष्ट नहीं है। चूंकि एनएमपीटी और एमआरपीएल संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही सहमत हैं, इसलिए यह मूल प्रस्ताव प्रासंगिक नहीं रह जाता है।

8.2. इस परिप्रेक्ष्य में, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण ने इस प्रकरण को बन्द करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1996-97 से 2001-02 के लिए बंदरगाह शुल्क दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी को अपना संशोधित सहमत प्रस्ताव, इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात, 30 नवम्बर, 2003 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003/असा०]